

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो(तेनुघाट)।  
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत  
परमिशन वाद संख्या 70 वर्ष 2016

आवेदक- असीत कुमार हॉसदा

क्रेता- मुकेश मुर्मू

ग्राम- पोण्डा

ग्राम-पोण्डा टोला सिरकट

थाना- कसमार, जिला-बोकारो

थाना- कसमार जिला-बोकारो

आदेश की क्रम  
सं० एवरीख  
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश  
गई का  
बारे में  
तारीख  
साथ।

आदेश

यह वाद आवेदक असीत कुमार हॉसदा पिता स्व० मुक्तेश्वर मौंझी ग्राम- पोण्डा थाना- कसमार जिला-बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (क)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

| मौजा   | थाना न० | खाता न० | प्लॉट न० | कुल रकबा | बिक्री रकबा | भूमि दर्जा |
|--------|---------|---------|----------|----------|-------------|------------|
| पोण्डा | 74      | 36      | 1212     | 21 डी०   | 11 डी०      | कृषि योग्य |

को वे ईलाज तथा आवश्यक कार्य हेतु मो० 42,500/- (बियालीस हजार पाँच सौ) रुपये में क्रेता- मुकेश मुर्मू पिता गोपाल मांझी ग्राम-पोण्डा टोला सिरकट थाना-कसमार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 444/रा० दिनांक 12.08.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 650 दिनांक 16.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम-पोण्डा थाना-कसमार, क्रेता ग्राम पोण्डा टोला सिरकट थाना कसमार जिला-बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में भगलू मौंझी के नाम से दर्ज है एवं उसकी जमाबन्दी मुक्तेश्वर मौंझी के नाम से चल रही है तथा वर्ष 2016-17 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है
03. खतियानी रैयत से बिक्रेता का दादा का संबंध है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता असीत हॉसदा के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन मुक्तेश्वर मौंझी के नाम खरीदगी जमीन है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी मुक्तेश्वर मौंझी के नाम से चल रही है तथा वर्ष 2016-17 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री वाली जमीन बिक्रेता के हिस्से की है। जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

*Signature*  
*दिनांक*



क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं :-

01. बिक्रेता- मुक्तेश्वर माँझी के नाम केवाला की छायाप्रति जिसका डीड नं० 660 एवं 12.05.99 है एवं मुक्तेश्वर माँझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति तथा स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष संथाल जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम पोण्डा तथा एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खरीदगी जमीन है। जिसे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

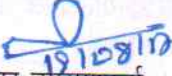
अतः आवेदक- असीत कुमार हॉसदा पिता स्व० मुक्तेश्वर माँझी ग्राम- पोण्डा थाना कसमार जिला बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

| मौजा   | खाता न० | प्लॉट न० | कुल रकबा | बिक्री रकबा | उ० सीमा          | द० सीमा                   | पूरब सीमा         | प० सीमा    |
|--------|---------|----------|----------|-------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| पोण्डा | 36      | 1212     | 21 डी०   | 11 डी०      | बिन्देश्वर माँझी | मनोज माँझी व रामलाल माँझी | बिनोद माँझी वगैरह | पक्की सड़क |

कुल ग्यारह डिसमिल जमीन मात्र।

मो० 53,515/- (तिरपन हजार पाँच सौ पन्द्रह) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता मुक्तेश्वर मुर्मू पिता गोपाल माँझी ग्राम-पोण्डा टोला सिरकट थाना कसमार जिला -बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्ष को अवगत करावें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बेरमो (तेनुघाट)

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बेरमो (तेनुघाट)